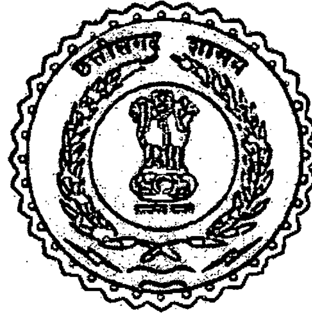
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010—ज्येष्ठ 7, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 1973 एफ 1-57/2009/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त, इस नियम में सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट समस्त पदों के लिए, अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो".

परन्तु प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमायें लागू होगी.

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, आयु सीमा में छूट के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अलावा कोई और प्रावधान भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित संशोधित तथा लागू होंगे.

"परन्तु यह और भी कि सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष " के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर, दिनांक 16-09-2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे".

2. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु उपरोक्त प्रावधान, प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होगा".

3. अनुसूची-तीन में कॉलम (5) के शीर्षक "उच्चतर आयु सीमा" के अन्तर्गत, प्राध्यापक/उप संचालक, उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"1.	पुरुष अनारक्षित	-	45 वर्ष
2.	पुरुष (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	50 वर्ष
3.	महिला अनारक्षित	-	55 वर्ष
4.	महिला (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	60 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग)	-	60 वर्ष

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी".

Raipur, the 28th May, 2010

NOTIFICATION

No. 1973/F.1-57/2009/38-1 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (1) of Rule 8, the following clause shall be substituted, namely :-

" In addition to the direct recruitment to the post of professor, for all posts specified for direct recruitment in this Rule, the candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, following the issuance of Advertisement by the Commission :

Provided that for the direct recruitment to the post of professor, the age limit specified in column (5) of Schedule-III shall be applicable.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor the provision for relaxation in age limit specified else where shall stand amended and applicable, mutatis mutandis.

Provided further that General Administration Department circular No. F. 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16-09-2008 restricting the "upper age limit to 45" after including all types of relaxations, shall not be applicable for direct recruitment to the post of Professors."

2. After clause (c) of sub-rule (1) of Rule 8, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the above provision shall not be applicable for direct recruitment to the post of professors."

3. In Schedule-III, for column (5) under heading "upper age of limit" for Professors/Deputy Director, Higher Education, the following entries shall be substituted, namely :-

"1.	Male Unreserved	-	45 Years.
2.	Male (Reserved Category- Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Other Backward Classes)		50 Years.
3.	Female Unreserved	-	55 Years
4.	Female (Reserved Category-Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes)	-	60 Years
5.	Widow, destitute, divorcee (Reserved/Unreserved Category).	-	60 Years.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor, after availing of various age relaxations specified in the rule, the upper age limit shall not exceed 60 years."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.